12-6-18

पत्रावली लोक अदालत केम्प मण्डावरा में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता मजमें आम में उपस्थित। वकील वादनी को सुना गया। वकील वादी ने कथन किये कि वादी का नाम देवकी नन्दन पुत्र चौथमल है तथा गौरी शंकर का दत्तक पुत्र है वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पंचायत तस्दीक में वादी का नाम देवकी नन्दन पुत्र चौथमल अंकित है किन्तु जमाबंदी में वादी का नाम देवकी नन्दन दत्तक पुत्र गौरी शंकर अंकित है। इस कारण वादी को परेशानी आ रही है। अतः वादी का नाम विवादित आराजी में देवकी नन्दन दत्तक पुत्र गौरी शंकर के स्थान पर देवकी नन्दन पुत्र चौथमल दत्तक पुत्र गौरी शंकर अंकित किया जावें।

12/6/18

सरपंच
ग्राम पंचायत मण्डावरा

वादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] जारी हु[illegible]
	पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ, जो शा0मि0 किया गया। मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। वकील वादी द्वारा किये गये कथनो की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। मजमें आम में जानकारी प्राप्त करनें पर भी उपरोक्त कथनों की पुष्टि होती है तथा मजमें आम मे उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा एवं प्रभूलाल दोनों ने उपरोक्त कथनों का समर्थन करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। जिससे प्रमाणित होता है कि वादी चौथमल का पुत्र है तथा गौरी शंकर का दत्तक पुत्र है। जिससे प्रमाणित होता है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवानें की अधिकारी है। अतः वाद वादी मजमें आम में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 368 रकबा 0.77 हे0, ख0नं0 2392/216 रकबा 0.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम देवकी नन्दन दत्तक पुत्र गौरी शंकर के स्थान पर देवकी नन्दन पुत्र चौथमल दत्तक पुत्र गौरी शंकर दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मण्डावरा

उनवान

देवकी नन्दन पुत्र चोथमल दत्तक पुत्र गौरी शंकर जाति कलाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 3/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मजमें आम में प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 368 रकबा 0.77 हे0, ख0नं0 2392/216 रकबा 0.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम देवकी नन्दन दत्तक पुत्र गौरी शंकर के स्थान पर देवकी नन्दन पुत्र चौथमल दत्तक पुत्र गौरी शंकर दर्ज किया जावें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner